न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–586/2016 व 571/2016

1–मदन लाल पुत्र स्व0 झूंथा

2–श्रीमति रमादेवी उर्फ रामचरणी पुत्री स्व0 झूंथा

3–श्रीमति रामस्वरूपी पुत्री स्व0 झूंथा

समस्त जाति जांगिड निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, कस्बा चौमूँ तहसील चौंमू जिला जयपुर

4–लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र स्व0 गणेश नारायण (माता मु0 नारायणी देवी) जाति जांगिड ब्राहमण निवहासी–माधो बिहारी जी का हत्था, जयपुर महा नगर तहसील जयपुर।

5–श्रीमति प्रभाती देवी उर्फ प्रभु पुत्री सुज्या जाति जांगिड निवासी–पक्की ढाणी, ग्राम मोरिजा तहसील चौमूँ जिला जयपुर

अपीलार्थीगण–प्रतिवादीगण

बनाम

1–आदित्य कुमार पुत्र बाबू लाल महेश्वरी जाति महाजन निवासी–राधाबाग कॉलोनी, कस्बा चौमूँ जिला जयपुर

2–हनुमान सहाय पुत्र श्री हरदेव जाति बागडा ब्राहमण निवासी–अमरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर

3–मु0 छिगनी पत्नि स्व0 मोहन

4–द्वारका प्रसाद पुत्र स्व0 मोहन

5–गोपाल पुत्र स्व0 मोहन

6–मु0 लक्ष्मी पुत्री स्व0 मोहन

7–श्रीमति मंजू पुत्री स्व0 मोहन

8–मु0 गीता उर्फ उर्मिला पुत्री स्व0 मोहन

9–श्रीमति सुनीता उर्फ नाना पुत्री स्व0 मोहन

समस्त जाति जांगिड निवासी–ब्राहमण निवासी–रेल्वे स्टेशन के पास कस्बा चौमू तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

10–सुवा लाल पुत्र स्व0 झूंथा जाति जांगिड नि–चौधरी पेट्रोल पम्प के सामने, गायत्री नगर, सांगानेर, जयपुर

11–मनमोहन पुत्र स्व0 दामोदर प्रसाद जाति जा0 ब्राहमण नि0 1505, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, जयपुर

12–रामजी लाल पुत्र श्री नारायण पारीक जाति पुरोहित नि0 राणा कॉलोनी, दौसा तहसील व जिला दौसा

13–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूँ जिला जयपुर

– रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– डा0 बी0 आर0 वर्मा अपीलार्थीगण की ओर से।

2–श्री मूलचन्द सैनी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 की ओर से।

3–श्री ज्ञानेश्वर बाढदार रेस्पोडेन्ट सख्या 03 लगायत 09 की ओर से ।

4– श्री सुरेश कुमार चाहर रेस्पोडेंट सख्या 12 की ओर से।

अपील सख्या 768/2016.

1–द्वारका प्रसाद पुत्र मोहन

2–गोपाल पुत्र मोहन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3–मंजू पुत्री मोहन

4–नाना उर्फ सुनिता पुत्री मोहन

5–उर्मिला उर्फ गीता पुत्री मोहन

समस्त जाति जांगिड ब्राहमण निवासी–कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

1–आदित्य कुमार माहेश्वरी पुत्री बाबू लाल माहेश्वरी जाति महाजन निवासी– राधा बाग कॉलोनी, चौमूँ जिला जयपुर

2–मदन लाल पुत्र झूंथा जाति जांगिड ब्राहमण निवासी– कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर

3–सुवा लाल पुत्र झूंथा जाति जांगिड ब्राहमण निवासी–चौधरी पेट्रोल पम्प के सामने, गायत्री नगर, सांगानेर जिला जयपुर

4–रामस्वरूपी पुत्री झूंथा

5–रामचरणी पुत्री झूंथा

जातियान जांगिड ब्राहमण निवासी–कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज0।

6–लक्ष्मीनाराायण दत्तक पुत्र गणेशनारायण निवासी–माधोबिहारी जी का हत्था, जयपुर

7–प्रभू पुत्री सूज्या निवासी–कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर

8–रामजी लाल पारीक पुत्र श्रीनारायण पारीक जाति ब्राहमण निवासी–राजा कॉलोनी दौसा

9–लक्ष्मी पुत्री मोहन जाति जांगिड ब्राहमण निवासी–कस्बा चौमूँ तहसील चौमूं जिला जयपुर

10–उप पंजीयक चौमूँ, जिला जयपुर

11–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री ज्ञानेश्वर बाढदार अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री सुरेश कुमार चाहर रेस्पोडेंट सख्या 03 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13–03–2018

1– उक्त तीनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.06.2016 एवम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–07–2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूँ वाद संख्या 31/2016 हनुमान सहाय बनाम मु0 छिगनी देवी वगै0 प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी हनुमान सहाय द्वारा एक दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम चौमूँ स्थित वादग्रस्त आराजीयात खाता सख्या 607 कुल किता 05 कुल रकबा 1.28 हैक्टैयर के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है इसमें वादी का हिस्सा 1/12 है, तथा शेष हिस्सा प्रतिवीगण का है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है यह कथन करते हुए वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने तथा प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।प्रकरण में दिनांक 11/6/2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 5–7–2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध ये अपीले प्रस्तुत की गई हैं। निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11/06/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को क्रमशः 586/2016, 768/2016 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपील सख्या 571/2016 के रूप में दर्ज किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3–अपील सख्या 586/2016 के अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/06/2016 तथ्य व विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। मृतक खातेदार मोहन झूंथा व मु0 नानीदेवी के लिये वाद के अभिकथनों को सत्य मानकर निर्णय पारित किया गया है।अपीलार्थीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के लिये कोई सहमति नहीं दी गई है।प्रकरण में कुर्रेजात कायम करने व मौके का नक्शा तीन प्रतियॉ में तैयार करने और विभाजन के नियमों की पालना के आदेश के अभाव में तहसीलदार के द्वारा की गई कुर्रेजात व नक्शे की कार्यवाही प्रभावशुन्य है।प्रकरण में अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में न रखते हुए रेस्पो0 सख्या 01 व 02 द्वारा बसाई गई कॉलोनी के रास्ते की सुविधा को देखते हुऐ तकासमा किया गया है।रेस्पो0 सख्या 01 व 02 अजनबी क्रेता है तथा इनका कोई कब्जा काश्त नही है इसलिये पारित निर्णय व डिक्री में क्षैत्राधिकार का गलत उपयोग किया गया हैं।अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कथन कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11/06/2016 निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

4–अपील सख्या 571/2016 जो निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है के अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्लीडिंग्स पर गौर किया गया है, न वाद बिन्दु कायम किये गये है तथा न ही पक्षकारों से साक्ष्य व सबूत ली गई है।प्रकरण में वादी हनुमान सहाय से आदित्य कुमार अपने हक में भूमि हस्तान्तरण करवाकर धारा 52 टी0 पी0 एक्ट का उल्लंघन किया गया है।राजस्व रिकार्ड के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित करने में पक्षकारान के द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है।निर्णय में आदित्य व रामजी लाल रेस्पो0 01 व 12 का संयुक्त हिस्सा 10/71 निर्णित किया है जिसके लिये वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। निर्णय व डिक्री अधीन अपील में कुर्रेजात कायम करने, मौके का नक्शा तैयार करने और विभाजन के नियमों की पालना के आदेश न होते हुए तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात व नक्शे की गई कार्यवाही **null and void**है। अपीलार्थीगण के कब्जे, काश्त को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड तकासमा न कर कॉलोनाईजर्स रेस्पो0 सख्या 01 व 12 द्वारा नजदीक बसाई कॉलोनी के निवासियों के रास्ते की सुविधाा को मध्य नजर रखते हुए तकासमा कर विधि विरूद्ध कार्य किया है। निर्णय व डिक्री दिनांक 5–7–2016 में बिना अपीलार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये संशोधन कर अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25–07–2016 पारित किये है। आदित्य कुमार और हनुमान सहाय रेस्पो0 1 व 2 दोनों **stranger purchager** जो न खातेदार है न इनका कब्जा–काश्त रहा है और न इन्होंने वाद में कब्जे के अनुतोष चाहे है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 4852 व 4853 के दक्षिण–पूर्व व उत्तर में और खसरा नम्बर 4855 व 4856 के उत्तर में वर्षो से विद्यमान जे0डी0ए0 की सार्वजनिक रोड होते हुऐ सडक के सहारे वादग्रस्त भूमि में रास्ते के लिये 0.7 हैक्टेयर भूमि काटकर अधिनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के बाहर कार्य किये है।वादग्रस्त भूमि के उत्तर में सडक के बाद स्थित भूमि में रेस्पो0 सख्या 1 व 12 भूखण्ड काट कर कॉलोनी बसा रहे है जिस कॉलोनी के निवासीयों के लिये विद्यमान सडक को चौडी करने के लिये रोड के दक्षिणी में वादग्रस्त भूमि में रास्ते की भूमि अनाधिकृत काट दी गई है। मु0 गैंदी रेस्पो0 प्रतिवादीनी का दिनांक 26–03–2015 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके कायम–मुकामान की कार्यवाही न कर मृतक गैंदी रेस्पो0 के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर अधिनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार गलत प्रयोग किया है। मु0 गैंदी का पुत्र मनमोहन रेस्पो0 सख्या 11 है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील स्वीकार कर निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 05–07–2016 निरस्त करते हुऐ मौके व राजस्व रिकार्ड की वाद प्रस्तुतीकरण के दिन की स्थिति कायम करने के रेस्पो0 सख्या 14 को आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है।

5–अन्य अपील सख्या 768/2016 जो अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है के अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 4855 में उत्तरी तरफ रास्ता दर्ज कर

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिया गया है उसमें अपीलान्ट के मकान स्थित हैं। दिनांक 30–06–2016 को वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट तारीख पेशी दी गई है एवं दिनांक 05–07–2016 को अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है तथा अपीलान्टस को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है न ही कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलान्टस के समक्ष बनाई गई है। प्रतिवादी सख्या 12 गैंदी की मृत्यु दिनांक 26–03–2015 को गई थी जिसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है।प्रत्येक हिस्सेदार का अलग–अलग विभाजन नहीं किया गया है तथा रास्ते की आवश्यकता नहीं होते हुऐ भी रास्ता कायम किया गया है।अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कथन कर निर्णय व डिक्री दिनांक 5–7–2016 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

6–अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पात्रवली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

7–अपील सख्या 586/2016 एवं 571/2016 के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध जारी की गई है तथा आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आते है कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है तथा नही इनपर आपत्ति ली गई है।विभाजन के नियम 18 स 21 की भी पालना नहीं की गई है। मौके पर स्थित कब्जा काश्त का भी ध्यान नहीं रखा गया है अतः अपील स्वीकार की जावे। उक्त अपीलो के रेस्पोडेन्ट सख्या 03 लगायत 09 व अपील सख्या 768/2016 के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री ज्ञानेश्वर बाढदार द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के समय वे उपस्थित नहीं थे तथा न ही उनकी सहमति थी।अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05–07–2016 के संबंध में उन्होंने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में मौके पर रास्ता पूर्व से ही मौजूद है फिर भी उत्तर एवं पूर्व में रास्ता दर्शाया गया है जिसमें अपीलान्टस के मकान स्थित हैं।छिगनी देवी की मृत्यु हो चुकी थी परन्तु उनके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया।प्रकरण में सभी खातेदारों का विभाजन नहीं किया गया है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट भी गिरदावर एवं पटवारी द्वारा तैयार की गई है जो अनुचित है।श्री बाढदार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आर0आर0टी 689, 1999 आर.बी.जे. 221 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

8– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी हनुमान सहाय के द्वारा दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था।दावे के दौरान हनुमान सहाय की भूमि को आदित्य कुमार पुत्र बाबू लाल द्वारा क्रय कर लिये जाने से प्रार्थी आदित्य कुमार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सहपठित धारा 151सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि हनुमान सहाय के हिस्से 1/12 को प्रार्थी द्वारा क्रय कर लिया गया है तथा प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण भी तस्दीक हो चुका है इसलिये प्रार्थी को वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 08–06–2016 को स्वीकार कर श्री आदित्य कुमार को वादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस अथवा अन्य रेस्पोडेन्टस के द्वारा कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है।प्रकरण में दिनांक 11/06/2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 11/6/2016 में उल्लेख किया गया है कि "पक्षकारों ने प्रार्थना–पत्र सहमति से वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने पेश कर वाद को प्राथमिक डिक्री करने का निवेदन किया गया।उभयपक्षों की बहस सुनी गई।वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता हैं।"अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11/06/2016 में तहसीलदार चौमूँ को आदेश दिया है कि वे वादी व प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तकासमा प्रस्ताव

प्रेषित करे। प्राथमिक डिक्री दिनांक 11/06/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 586/2016 में मुख्य आपत्तियॉ यह ली गई है कि स्व0 मोहन, स्व0 झूंथा व स्व0 नानी देवी आदि के लिए केवल वाद के अभिकथनों को सत्य मानकर निर्णय पारित किया गया है, अपीलान्टस द्वारा डिक्री पारित करने के लिए सहमति नहीं दी है तथा न ही प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर किये है,कुर्रेजात कायम करने, नक्शा तीन प्रतियॉ में तैयार करने तथा विभाजन के नियमों की पालना करने के निर्देश तहसीलदार को नहीं दिये गये है। यह भी आपत्ति की गई है कि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में ध्यान में रखते हुए बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं किया गया है तथा वादी अजनबी क्रेता है जिनका कोई कब्जा काश्त मौके पर नहीं है।उक्त आपत्तियों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्व0 मोहन, स्व0 झूंथा व स्व0 नानी देवी के संबंध में जो आपत्ति ली गई है कि उसके संबंध में वाद में वर्णित अभिकथनों को ही सत्य मानकर निर्णय पारित किया गया है उचित नहीं है क्योंकि स्व0झूंथा व स्व0 नानी देवी के वारिसान को प्रतिवादी सख्या 08 लगायत 14 बनाया गया है जिनमें से अपीलान्ट भी है,इन्होंने वाद–पत्र में वर्णित अभिकथनों का कोई विरूद्ध नहीं किया गया है। प्रतिवादी सख्या 8 ,10,11,12 व 14 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का 1/12 अविभाजित हिस्सा होना स्वीकार किया है तथा वारिसान के संबंध में प्रतिवादी सख्या 13 नारायणी का दावा दायरी से पूर्व देहान्त होना कथन किया गया है इसके अतिरिक्त कोई आपत्ति नहीं की गई है।प्रतिवादी सख्या 13 के वारिस लक्ष्मीनारायण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 जो स्व0 मोहन के वारिसान है उन्होंने ने भी वादी का 1/12 अविभाजित हिस्सा होना स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सख्या 13 मृत्यु होने का कथन किया गया है तथा स्व0 मोहन के वारिसों के संबंध में कोई आपत्ति उनके द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार अपील में ली गई यह आपत्ति कि 'मृतकों के स्वर्गवास होने व न होने तथा वारिस होने न होने के संबंध में विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है,' चलने योग्य नहीं है।जहॉ तक प्राथमिक डिक्री के लिये सहमति नहीं दिये जाने का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना–पत्र से स्पष्ट है कि कुछ पक्षकारों द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये है तथा अन्य पक्षकारों के द्वाराइस संबंध में कोई आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा आपत्ति होने की स्थिति में अपीलान्टस द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति की जा सकती थी जो कि नही की गई है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार चौमूॅ को राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने के निर्देश दिये गये है जिससे अपीलान्टस द्वारा तहसीलदार को विभाजन के आदेश नहीं दिये जाने संबंधी आपत्ति निराधार है।जहॉ तक अन्य आपत्तियों का प्रश्न है वे प्राथमिक डिक्री से संबंधित न होकर अंतिम डिक्री से संबंधित है तथा जिनसे प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील को कोई बल नहीं मिलता है।उपर्युक्त विवेचन से प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में कोई सारभूत विधिक बल निहित नहीं होने से वह स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11/06/2016 बहाल रखे जाने योग्य है।

9– निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 571/2016 में मुख्य आपत्ति ली गई है कि क्रेता आदित्य कुमार को वादी के रूप में अनुचित तौर पर प्रतिस्थापित किया गया है, विभाजन के नियमों की पालना नहीं की गई है, विभाजन के आदेश तहसीलदार को नहीं दिये गये है, कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा नहीं किया गया है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, आदित्य कुमार व हनुमान सहाय अजनबी क्रेता है तथा उनका कब्जा काश्त नही रहा है तथा खसरा नम्बर 4852 व 4853 के दक्षिण पूर्व व उत्तर में ओर खसरा नम्बर 4855 व 4856 के उत्तर में जे0 डी0 ए0 की सार्वजनिक रोड होते हुए सडक के सहारे रास्ता दिया गया है। अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील सख्या 768/2016 में भी उपर्युक्त आपत्तियों के अलावा आपत्तियॉ ली गई है

कि सभी हिस्सेदारान का विभाजन नहीं किया गया है, कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रतिवादी सख्या 12 गैंदी के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है।इन आपत्तियों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी आदित्य कुमार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष वादी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसपर उभयपक्ष को सुना जाकर आदित्यकुमार को वादी बतौर पक्षकारान संयोजित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है।अतः अपीलान्टस की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नही है कि आदित्य कुमार अजनबी केता है तथा उनका कब्जा काश्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने के निर्देश दिये गये है जिससे कि अपीलान्टस का यह कथन कि आदेश के अभाव में तहसीलदार द्वारा नक्शे व कुर्रेजात की कार्यवाही की गई है जो प्रारम्भ से ही प्रभावशुन्य है, अनुचित है। दिनांक 5–7–2016 को अपीलान्टस को सुचित नहीं किये जाने संबंधी जो आपत्ति ली गई है उसके संबंध में दिनांक 30–06–2016 को पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 05–07–2016 नियत किया जाना तथा दिनांक 05–07–2016 की आदेशिका में वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं के उपस्थित होने का कथन अंकित होना महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि नियमित पेशी में पत्रावली दिनांक 05–07–2016 को रखी गई है तथा मुख्यालय के कैम्प कोर्ट में उभयपक्ष को सुना गया है। आदेशिका दिनांक 5–7–2016 में उल्लेख है कि पक्षकार व अधिवक्तागण सहमत है, इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान को सूचना नहीं दिये जाने व आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन अनुचित है। अपीलान्टस द्वारा किया गया यह कथन कि उनके द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है, तो सत्य है परन्तु यह भी सत्य है कि उनके द्वारा कुर्रेजात प्रस्तावों पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके लिये वे स्वतंत्र थे। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अपने कब्जे काश्त संबंधी कोई विशिष्ट कथन नहीं अंकित किया गया है इससे उनकी कब्जे काश्त संबंधी की गई आपत्ति को कोई बल नहीं मिलता है।कुर्रेजात प्रस्तावों के साथ संलग्न नक्शे से स्पष्ट है कि प्रस्तावों में दिया गया रास्ता काश्तकारान की पहुंच व सुविधा के लिए दिया गया है। अपीलान्टस का यह कथन कि खसरा नम्बर 4852 व 4853 व 4855 व 4856 के उत्तर पूर्व में पूर्व से रास्ता स्थित है, इसके संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहॉ तक मृतक गैंदी के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की सूचना व सबूत किसी भी पक्षकारान द्वारा दिया जाना प्रमाणित नहीं है यहॉ तक कि अपील में अपीलान्टस द्वारा गैंदी की दिनांक 26–03–2015 को होने का कथन किया गया है परन्तु इसके संबंध में कोई मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।गैंदी पूर्व खातेदार सूज्या की पुत्री थी एवं सूज्या के अन्य वारिसान भी पक्षकारान प्रतिवादी रहे है उनके द्वारा भी गैंदी की मृत्यु के बाबत कोई कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05–07–2016 के संबंध में प्रस्तुत दोनों अपीलों में लिये गये आधारों में कोई सारभूत विधिक बल नहीं है तथा विभाजन के नियमों का कोई सारभूत उल्लंघन नहीं पाये जाने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है तथा दोनों अपील कमशः 571/2016 व 768/2016 खारिज किये जाने योग्य है।

10– अतः अपील सख्या 586/2016, 571/2016 व 768/2016 अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–06–2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–07–2016 यथावत रखे जाते है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियो के संलग्न रखी जावे।

11– निर्णय आज दिनांक 13–08–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी